

यौन उत्पीड़न गैरकानूनी है।

उचित आवास पाना आपका अधिकार है।

आपको अपने घर और यौन उत्पीड़ित होने के बीच चयन करने की जरूरत, कभी भी नहीं होनी चाहिए।

यदि आपके मकान मालिक, किराये के घर के परबंधक, या कोई अन्य व्यक्ति जिसे आपके आवास-स्थल पर नियंत्रण प्राप्त है, ने:



आपके शरीर या दिखावट पर टिप्पणी की है



आपको घर से निकालने की धमकी दी है जब तक कि आप उसके साथ संभोग न करें



आपकी मर्जी के बिना आपको छुआ है



आपको किराये पर मकान देने के बदले में आपसे यौन संबंधी उपकार की मांग की है



कोई मरम्मतें करवाने से पहले आप से आपकी कामुक तस्वीरें मांगी हैं



यौन के बारे में बात की है, अश्लील फिल्में दिखाई हैं या अप ने आप को अनुचित तरीके

- चाहे आपने "हाँ" कहा हो।
- चाहे आपका आपराधिक इतिहास हो।
- चाहे आपसे घर खाली करवाया गया हो।
- चाहे आप अपना पिछला किराया नहीं दे पाएँ हों ।

यह यौन उत्पीड़न हो सकता है।

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, नागरिक अधिकार विभाग से सम्पर्क करें।
आप हमसे fairhousing@usdoj.gov पर ई-मेल द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं।
आप हमें 1-844-380-6178 पर फोन कर सकते हैं। टी टी वाई : 202-305-1882.

